राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 174/2025 दायर दिनांकः–24.10.2025

जीसीएमएस नं. 2025/174 निर्णय दिनांकः–24.10.2025

"पंजाब नेशनल बैंक, दबाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन विभाग तृतीय तल, एलआईसी भवन सब सिटी सेन्टर रेती स्टेण्ड, उदयपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री लक्सी पाटीदार, गावं कोकापुर तहसील–सागवाडा जिला–डूंगरपुर एवं मैसर्स जनता टी हाउस, प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री लक्सी पाटीदार दुकान नं. 12 पुलिस स्टेशन के सामने, रिलायन्स रोड, दहानु रोड, पालघर, महाराष्ट्र 401602
2. श्री मोहन पाटीदार पुत्र श्री लक्सी पाटीदार गांव कोकापुर, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर एवं मैसर्स अंबिका टी स्टॉल प्रोपराईटर श्री मोहन पाटीदार पुत्र श्री लक्सी पाटीदार रिलायंस रोड, पुलिस स्टेशन के सामने दहानु रोड, पालघर महाराष्ट्र

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पंजाब नेशनल बैंक, ने अप्रार्थीगण को राशि 9,90,000/– दिनांक 07.08.2020 एवं राशि 6,00,000/– दिनांक 16.12.2022 कुल 15,90,000/–अक्षरे रूपया पन्द्रह लाख मात्र ऋण सुविधा उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–श्री राजेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री लक्सी पाटीदार के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जा खसरा नं 483, राजस्व गांव कोकापुर सागवाडा जिला डूगरपुर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 752 वर्ग फीट है। जिसके पूर्व में चौक एवं रोड, पश्चिम में खुली भूमि एवं रोड, उत्तर में श्री शिवराम पुत्र मानजी पाओदार का मकान दक्षिण में श्री मोहन पुत्र लक्सी पाटीदार का मकान स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 17.12.2024 को (एन.पी.ए) घोषित किया गया। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 16,29,972.14/– अक्षरे रूपया सौलह लाख उन्नतीस हजार नव सौ बहत्तर रूपये चौदह पैसे बकाया एवं ब्याज व अन्य खर्चे सहित निकलते है। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऋणी को एक्ट 2002 की धारा 13(2) कें अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 को नोटिस जारी करने तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, को दिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, को सगंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी को उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, को राशि जमा नही कराने से उक्त अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलवाने का आदेश जारी करनें की मांग की। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मैने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पति को पंजाब नेशनल बैंक, के पास रहन रखकर –कुल 15,90,000/–अक्षरे रूपया पन्दह लाख नब्बे हजार मात्र ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 07.01.2025 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल बकाया ऋण राशि–16,29,972.14/–दिनांक 17.12.2024 तक निकलते है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी आई.सी.आई.सी. आई. होम फाइनेन्स लिमिटेड, ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 07.01.2025 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज मे बंधक के रूप मे रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाना आवश्यक है। अतः दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, के पास बन्धक रखी सम्पति को अप्रार्थी से प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर प्रार्थी को सम्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की क्रियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 24.10.25 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)